न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 567/2025

विनोद कुमार पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

बनाम्

-:वादी

1 शांतिदेवी पत्नी स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2 सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3 सिलोचना पुत्री स्व. कृष्णलाल पत्नी करनैल सिंह जाति जाट निवासी फुलका तहसील व जिला सिरसा हरियाणा
4 सरोज पुत्री स्व. कृष्णलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
1. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता वादी
2. श्री भवानी सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 05.01.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 सगे भाई बहिन है तथा प्रतिवादिया सख्या 1 वादी की माता है। वादी की माता प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम से निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है-

(क) चक 5 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सख्या 67ध53 के पत्थर नंबर 171/329 (13) किला नंबर 6 से 9, 10/2, 15/1 कुल 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड।

(ख) चक 7 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सख्या 91/76 के पत्थर नंबर 169/329 (18) किला नंबर 3/2, 4/1, 7/2, 8/1 कुल 0.633 हैक्टेयर अनकमाण्ड। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो संयुक्त हिंदू परिवार की अर्जित आय से प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम खरीद की गई है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 का जन्मतः हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है जिन्होनें अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादिया सख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 5 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सख्या 67/53 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर तथा चक 7 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सख्या 91/76 की कुल 0.633 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादिया सख्या 1 को प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त में है लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि इस प्रकार दर्ज न होने से वादी के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन हालात में वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि चक 5 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सख्या 67/53 के पत्थर नंबर 171/329 (13) किला नंबर 6 से 9, 10/2,

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

कुल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार इस खाता से प्रतिवादिया सख्या 1 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे उपरोक्त भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी के नाम करवाकर राजस्व ख में वादी के नाम दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है इसलिए यह वादपत्र माननीय लय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा है। अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी बहक वादीगण विरुद्ध दीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें-

के घोषणा फरमाई जावें कि चक 5 एमडी तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के सख्या 67/53 के पत्थर नंबर 171/329 (13) किला नंबर 6 से 9, 10/2, 15/1 कुल 1.265 र कमाण्ड के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा इस खाता से दिया सख्या 1 का नाम कलमजन फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 4 की ओर से अधिवक्ता भवानी सिंह उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 द्वारा दावा में नामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3, 4 ने सहमति का दावा पेश कर वादपत्र डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की है। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। ब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 5 एमडी तहसील हनुमानगढ़ बंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सख्या 67/53 के पत्थर नंबर 171/329 (13) किला नंबर 6 9, 10/2, 15/1 कुल 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के दार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त खाता से प्रतिवादिया सख्या 1 का नाम कलमजन किया है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई न/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार स्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर दारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। वली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का न्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया कर, सरे इजलास सुनाया गया।

:- **रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।**

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ